

प्रारूप स्वरू

(संख्य नियम 6 (2) और (3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2163

दिनांक 27-9-86

:- संपरिवर्तन आदेश :-

श्री मति ललीता देवी पत्नी श्री उदमीराम जागिड

जाति- जागिड

ग्राम

बेसरडा

तहसील खेतड़ी के आवेदन पर उसको खातेदारी अधिवृत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान न-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8 (3) के अर्धीन कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टता नीचे दी गयी है:-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम, पिता /पति के नाम सहित पूरा पता।

श्रीमति ललीता देवी पत्नी श्री उदमीराम जागिड जाति जागिड नि० बेसरडा तह० खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज०

2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जन जाति का सदस्य है।

"नही"

3 संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/

मेहाडा जाटवास / मेहाडा जाटवास

तहसील का नाम

तहसील

खेतड़ी

(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा सं का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

ख.नं० 165 रकबा 0.32 हे०

(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन

ख.नं० 165 रकबा 0.32 हे०

क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मीटर में

सम्पूर्ण

दिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शा 1. संपत्ति को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलग्न कर।

4 संपरिवर्तन का प्रयोजन

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
शिक्षण संस्था हेतु

5 संश्लेष प्रीमियम की दर

6 गालान की सख्या तथा तारीख गांजा

तारिख 37, 38

28.9.86

जमा कराई गई प्रीमियम की राशि

रुपया जमा तिथि

27.9.86

7 गालान में तथा तारीख सहित प्रारित

18600 + 12400 = 31,000/-

आदि गांजा हो तो जमा कराई गयी रुपया

अधिकारी खेतड़ी
27/9/86

Principal
Memorial P.G. College